मिशन शक्ति 5.0

कोतवाली फतेहगढ

मिशन शक्ति 5.0
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मिशन
शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
थाना जहानगंज
Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090
Women Power Line

कोतवाली फर्रुखाबाद

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090
181
1076
112
1098
102
108

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090
Women Power Line

थाना कमालगंज

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कम्पिल

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

कोतवाली कायमगंज

Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली मोहम्मदाबाद

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

थाना मेरापुर

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना नवाबगंज

मिशन शक्ति 5.0

थाना राजेपुर

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक - 20.12.2025

कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को 2.7 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 20.12.2025 को संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्ता को 2.7 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01. गुलशन पत्नी संजय निवासी नेकपुर चौरासी कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 20.12.2025 को कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता गुलशन उपरोक्त को कुल 2.7 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 151/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्ता गुलशन उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने अन्य जनपद से गांजा लाकर छोटे- छोटे पैकेटों में रखकर बेचकर अपने बच्चों के पालन पोषण करना बताते हुए अपने जुर्म की मांगी मांगते हुए अपनी सफाई अपनी वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्ता गुलशन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास उपरोक्त:-

01. मु0अ0सं0 151/25 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0स0 370/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना जलालाबाद जनपद शाहंजहापुर
03. अन्य थानो से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 2.7 किलोग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस टीम:-

01. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री दर्शन सिंह सोलंकी
02. उ0नि0 श्री अमित कुमार गुप्ता
03. म0का0 पूनम बघेल
04. का0 मोहित

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दि0-20.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सिकन्दर पुत्र विनोद निवासी पृथ्वीदरवाजा कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 179/2002 वाद संख्या 299/2010 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय एडीजे-04/ई0सी0 एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी -श्री श्रवण कुमार

को0 मो0 का0 गौरव कुमार

पैरोकार हे0 का0 राजेश कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दि0-20.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नोनियमगंज कस्वा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 178/2002 वाद संख्या 299/2010 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय एडीजे-04/ई0सी0 एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी -श्री श्रवण कुमार

का0 मो0 का0 गौरव कुमार

पैरोकार हे0 का0 राजेश कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमशाबाद

दि0-20.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.राजेश अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र अग्रवाल निवासी नोनियमगंज कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ 2.सिकन्दर पुत्र विनोद बाथम निवासी पृथ्वीदरवाजा कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ 3.देशराज पुत्र बाबूराम वर्मा निवासी अताईपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 142/2002 वाद संख्या 32/2004 धारा 302/34 भादवि0 थाना शमशाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय एडीजे-04/ई0सी0 एक्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व 50000-50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी -श्री श्रवण कुमार

को0 मो0 का0 गौरव कुमार

पैरोकार हे0 का0 राजेश कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

#ऑपरेशन मुस्कान

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अभियोग मे गुमशुदा नाबालिग युवक को सकुशल बरामद कर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।

थाना कम्पिल

वादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्यामबाबू अग्निहोत्री निवासी ग्राम कुँवरपुर खास थाना कम्पिल का नाबालिग पुत्र बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षतक फतेहगढ़ के निर्देश में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी का पुत्र उम्र करीब 17 वर्ष जो ऑनलाइन गेम खेलने में करीब 55 हजार रुपये हारने पर डर के कारण बिना बताये घर से चला गया था, को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों व आमजनमानस द्वारा फतेहगढ़ पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।